

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा बुलन्दशहर।

उपस्थिति:- श्रद्धा देवा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

परिवाद संख्या-1288 सन् 2013

बालकिशन वर्मा पार्टनर अजनता मोटर फाईनेनेस (रजि०), सुभाष रोड, खुर्जा,  
थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

.....परिवादी

**बनाम**

किशन कुमार सैनी पुत्र श्री रामप्रसाद सैनी निवासी ग्राम अरनियां मौजपुर, पोस्ट  
खुर्जा जंक्शन, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

.....अभियुक्त

अन्तर्गत धारा-138 एन.आई.एक्ट  
थाना-खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

-निर्णय-

1. परिवादी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।
2. प्रस्तुत परिवाद बालकिशन वर्मा द्वारा अभियुक्त किशन कुमार सैनी के विरुद्ध पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत योजित किया गया है।
3. परिवादपत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि परिवादी अजनता मोटर फाईनेनेस (रजि.), सुभाष रोड, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर पार्टनरशिप में चलाता है। अभियुक्त व परिवादी की अच्छी जान पहचान व सम्बन्ध होने के कारण अभियुक्त ने अपनी आवश्यकता के लिये परिवादी से गाडी नं० - UP81 AL 2553 खरीदने के लिये मु० 3,00,000/- रुपये फाईनेनेस कराये जो डी.डी. द्वारा दिये गये और 36 किशतों में जिनमें पहली किशत 24,500/- रुपये बकिया 35 किशतें 12,500/- रुपये प्रतिमाह लौटाने का वायदा किया। परिवादी द्वारा किये गये रूपयों की आंशिक अदायगी में अभियुक्त ने परिवादी को दिनांक 09.11.2013 को एक चैक नं० 537997 मु० 1,25,000/- रुपये अपने द्वारा मैनेटेन्ड व ऑपरेटिड खाता संख्या 08652191007645 ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा जंक्शन रोड, खुर्जा का अपने द्वारा हस्ताक्षरित दिया। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये गये उक्त चैक को कैश होने के लिये दिनांक 11.11.2013 को अपने बैंक ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा जंक्शन रोड, खुर्जा में अपनी फाईनेनेस के खाता संख्या C/A No. 08651010001250 में प्रस्तुत किया जो ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा जंक्शन रोड, खुर्जा द्वारा दिनांक 18.11.2013 को अपर्याप्त धनराशि होने के कारण डिसऑनर कर दिया गया जिसकी सूचना उसी दिन बैंक द्वारा परिवादी को दी गयी। अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक डिसऑनर होने पर परिवादी ने अभियुक्त को अपने अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.11.2013 को एक नोटिस उसके सही पते पर बजरिये रजिस्ट्री डाक इस आशय का भेजा कि वह नोटिस की वसूलयाबी के बाद 15 दिन के अंदर उक्त चैक की धनराशि मु० 1,25,000/- रुपये परिवादी को अदा कर दे। अभियुक्त को भेजा गया नोटिस दिनांक 29.11.2013 को अभियुक्त को प्राप्त हो गया परन्तु नोटिस वसूलयाबी के बावजूद भी अभियुक्त ने चैक की धनराशि मु० 1,25,000/- रुपये अदा नहीं की। अभियुक्त का यह कृत्य एन.आई.एक्ट की धारा 138 की हद तक को पहुंचता है।
4. परिवाद के आधार पर तथा दं.प्र.सं. की धारा 200/202 के अन्तर्गत साक्ष्य ग्रहण करने तथा जांचपरोन्त अभियुक्त किशन कुमार सैनी को पराक्रम्य

लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के आरोपों के अन्तर्गत आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया तथा उसने अपनी जमानत सुनिश्चित की।

5. परिवादी का साक्ष्य ग्रहण करने से पूर्व अभियुक्त किशन कुमार सैनी का बयान/चार्ज अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में यह अभिकथन किया कि मैंने परिवादी को कोई चैक नहीं दिया था, आरोप गलत है और मुकदमा गलत चला है। बयान चार्ज के उपरान्त परिवादी को निर्देशित किया गया कि वह अपने कथन के समर्थन में साक्षियों को परीक्षित कराये। परिवादी द्वारा स्वयं को पी.डब्लू. 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में असल चैक 537997, असल चैक जमा रसीद, असल ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स द्वारा इनवाईज की प्रति प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिये गये विधिक नोटिस इत्यादि की भी प्रति प्रस्तुत की गयी है। परिवादी के साक्ष्योपरान्त अभियुक्त किशन कुमार सैनी का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्त ने पुनः आरोपों से इंकार किया तथा सफाई साक्ष्य से भी इंकार किया गया तथा अपने कथन में और कुछ नहीं कहा।

6. पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत अभियुक्त के आपराधिक दायित्व उत्पन्न करने के लिये परिवादी को निम्नलिखित तथ्यों को दर्शित करने की आवश्यकता होती है-

(a) चैक जारी किया गया था।

(b) ऐसा चैक प्रस्तुत किया गया था।

(c) किन्तु ऐसा चैक अनादरित हो गया।

(d) ऐसे प्रावधान के अनुसार नोटिस उत्तरदायी बनाये गये व्यक्ति को प्राप्त हो गया था।

(e) नोटिस प्राप्त होने के बावजूद तथा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर न तो भुगतान किया गया और न ही अन्य बाध्यताओं का पालन किया गया।

7. प्रस्तुत मामलें में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त किशन कुमार सैनी द्वारा परिवादी को मु० 1,25,000/- रुपये का चैक दिया गया जो कि अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनादरित हो गया। धारा 138 एन.आई.एक्ट के अनुसार "जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित अपने खाते में से अपना किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व से उन्मोचित होने के लिये कोई चैक दिया जाता है और वह चैक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से बैंक द्वारा बिना भुगतान किये लौटा दी जाती है तो यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, जिसके द्वारा चैक दिया गया था।" अपने कथन को साबित करने हेतु परिवादी द्वारा स्वयं को पी.डब्लू. 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है तथा परिवादी बालकिशन द्वारा मुख्य परीक्षा में यह अभिकथन किया गया है कि किशन कुमार से हमारे सम्बन्ध सात वर्ष पुराने हैं। मैंने डी.डी. 05.05.2011 में बनवायी थी। यह लोन तीन लाख रुपये का था। इस लोन की 36 किश्तें बनी थी। मुझे किशन कुमार ने एक लाख पच्चीस हजार रुपये का चैक दिनांक 09.11.2013 में दिया था। चैक डिसऑनर का पता 18.11.2013 को पता लगा। चैक डिसऑनर होने के बाद मैं किशन कुमार से नहीं मिला था, मैंने चैक डिसऑनर के सम्बन्ध में कोई बात नहीं की थी। मैंने सीधे किशन कुमार को एक नोटिस दिया था। किशन कुमार ने वाद पत्र में एक लाख पच्चीस हजार की मांग की है। किशन कुमार गाडी चलाता है, पहले भी दो गाडी किशन कुमार के नाम फाइनेन्स थी जिस कारण किशन को लोन दिया था।

8. दौरान बहस अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त ने वादी को 75,000/-रुपये, 90,000/- रुपये व 37,500/- रुपये की किश्तें अदा कर चुका है जिनकी रसीदों की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। वादी ने एक बार पैसे

अदा करने के बाद रसीद भी नहीं दी है। वही दूसरी ओर परिवादी द्वारा उक्त तर्क का प्रतिकार किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय का अभिमत है कि परिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि उसके द्वारा अभियुक्त को दिनांक 22.11.2013 को नोटिस निर्गत किया गया तथा नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात जब अभियुक्त द्वारा उसकी धनराशि नहीं लौटायी गयी तब उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.12.2013 को अभियोग पंजीकृत कराया गया। अगर अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.11.2013 के उपरान्त परिवादी को अनादरित चैक की धनराशि अदा कर दी गयी होती तो परिवादी को वाद योजित करने की आवश्यकता नहीं होती। पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को नोटिस इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि अभियुक्त परिवादी को पैसा लौटा दे ताकि न्यायालय के समक्ष वाद योजित करने की आवश्यकता न हो। लेकिन प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा परिवादी को उसका बकाया पैसा नहीं लौटाया गया इसलिये अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

9. अतः उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में चैक जारी किया गया। जब परिवादी द्वारा उक्त चैक को बैंक में प्रस्तुत किया गया तो उक्त चैक बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि अभियुक्त के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी। इस प्रकार से अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ छल कारित किया गया है। चूंकि अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 420 के अन्तर्गत आरोप विरचित नहीं किया गया था। इसलिये छल के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई मत प्रकट नहीं किया जा सकता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

10. अभियुक्त जमानत पर है उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामों निरस्त कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली मध्यान्तर के बाद दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुने जाने हेतु प्रस्तुत हो।

दिनांक 04.09.2021

(श्रद्धा देवा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

खुर्जा, बुलन्दशहर।

जे.ओ. कोड-यू.पी.2268

पत्रावली पुनः प्रस्तुत। परिवादी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना। जहां एक ओर अभियुक्त का अभिकथन है कि उसका यह पहला अपराध है। वहीं दूसरी ओर परिवादी द्वारा अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण वर्ष 2013 से विचारणीय है। अभियुक्त द्वारा परिवादी को 1,25,000/- रुपये का चैक दिया गया था। अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि को परिवादी को दौरान विचारण लौटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः अभियुक्त किसी भी प्रकार की उदारता का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है।

दिनांक 04.09.2021

(श्रद्धा देवा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

खुर्जा, बुलन्दशहर।

जे.ओ. कोड-यू.पी.2268

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
उद् घोषित किया गया

दिनांक 04.09.2021

(श्रद्धा देवा)  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
खुर्जा, बुलन्दशहर।  
जे.ओ. कोड-यूपी.2268

स्टेनो:-  
प्रिया श्रीवास्तव